

पंजीकरण
दिनांक 05.05.2018
से प्रारम्भ
अन्तिम तिथि
05.06.2018

पंजीकरण 2018 पुस्तिका

रेरा पंजीकरण संख्या : UPRERAPRJ 15931
UPRERAPRJ 15932

सामान्य पंजीकरण 2018 (प्रथम चरण) के अन्तर्गत
लोहरामऊ मार्ग भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना,
सुल्तानपुर में अल्प आय वर्ग (29/60) एवं मध्यम आय वर्ग (45/75)
के फिनिशड भवन प्राप्त करने का सुनहरा अवसर

कार्यालय प्रयोगार्थ



*चित्र काल्पनिक है।

IS 15700 : 2005



सेवोत्तम प्रमाणित

उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद

104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ
Toll Free No. : 1800-180-5333; Website: www.upavp.com

योजना का विशेष आकर्षण

- सुल्तानपुर नगर के मध्य स्थित।
- भुकम्परोधी निर्माण।
- प्रदूषणमुक्त एवं हरियाली युक्त वातावरण।
- सुगम यातायात की सुविधा।
- पाइप द्वारा जलापूर्ति, ड्रेनेज एवं सीवर की व्यवस्था सहित समस्त अवस्थापना सेवायें।

परियोजना से सम्बन्धित घोषणाए

- परियोजना स्थल, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद द्वारा संचालित लोहरामऊ मार्ग भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना जनपद सुल्तानपुर हेतु विधिवत अधिग्रहीत एवं कब्जा प्राप्त भूमि पर संचालित।
- परियोजना की भूमि वर्तमान में पूर्णतया विवाद रहित।

उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद

उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद का गठन परिषद अधिनियम 1965 के अन्तर्गत माह अप्रैल 1966 में विभिन्न आवास एवं विकास योजनाओं का नियोजित ढंग से कार्यान्वयन करते हुए प्रदेश तथा राष्ट्रीय स्तर की आवास नीति एवं कार्यक्रम के अनुसार आवास संबंधी कार्यों में समन्वय लाने के उद्देश्य से किया गया था।

उद्देश्य

- (अ) प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न आवास संबंधी कार्यकलापों की योजना बनाना एवं इन योजनाओं का शीघ्र तथा प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।
- (ब) केन्द्र एवं राज्य सरकार, व्यवसायिक बैंक, वित्तीय संस्थाओं तथा अन्य सार्वजनिक निगमों तथा उपक्रमों से अनुदान अथवा ऋण लेना।
- (स) भूमि अर्जित करना तथा आवासीय योजनाओं में सड़क, विद्युत, जलापूर्ति, जल सम्भरण तथा अन्य नगरीय सुविधाओं एवं आवश्यकताओं की व्यवस्था करते हुए पंजीकृत व्यक्तियों की मांग के अनुरूप भूखण्ड अथवा भवन आदि निर्मित करके उनको आवंटित करना।
- (द) समाज के दुर्बल वर्ग तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति, सुरक्षा कर्मचारी एवं स्वतंत्रता सेनानी वर्ग के व्यक्तियों के लिए भवन उपलब्ध कराने हेतु विशेष प्रयास करना।
- (ध) केन्द्र/राज्य सरकार तथा उसके उपक्रम अथवा अन्य संस्थाओं के लिए कार्यालय भवन, शॉपिंग कॉम्प्लैक्स तथा आवासीय कॉलोनियों का निर्माण करना व तकनीकी सलाह देना।

- (न) भवन निर्माण एवं विकास कार्यों में गति लाना तथा लागत में कमी लाने के उद्देश्य से अनुसंधान कार्यों को प्रोत्साहन देना तथा कॉस्ट इफैक्टिव टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए स्थानीय सामग्रियों का उपयोग करने हेतु प्रोत्साहित करना ।
- (प) प्रदेश में सहकारिता आन्दोलन को बढ़ावा देने के लिए सहकारी आवास समितियों को प्रोत्साहित करना ।
- (फ) आवंटियों को सम्पत्ति के लिए वित्तीय संस्थाओं से वांछित ऋण उपलब्ध कराना ।

परिषद अपनी योजनाओं के अन्तर्गत उन सभी अनिवार्य सेवाओं तथा नागरिक सुविधाओं जैसे-विद्युत- आपूर्ति, शुद्ध पेय जल, ड्रेनेज, सीवर प्रणाली, नालियों, सड़कों, पार्कों तथा सामुदायिक केन्द्र आदि की व्यवस्था करने हेतु प्रतिबद्ध है । इसके साथ ही परिषद अपनी योजनाओं में विक्रय केन्द्रों, विद्यालयों एवं विभिन्न संस्थाओं आदि के निर्माण हेतु भी व्यवस्था करती है जिससे योजनाएं स्वयं परिपूर्ण शहरी इकाईयों के रूप में विकसित हो सके ।

परिषद जन-साधारण की आवश्यकताओं की पूर्ति के अतिरिक्त सहकारी समितियों एवं सार्वजनिक संस्थाओं को भी आवासीय भवन एवं विकसित भूखण्ड उपलब्ध कराती है ।

परिषद की योजनाओं में सम्पत्ति के प्रदेशन के लिये पंजीकृत व्यक्तियों के मध्य सम्पत्तियों का आवंटन लॉटरी द्वारा किया जायेगा ।

अल्प आय वर्ग (29/60) एवं मध्यम आय वर्ग (45/75)

प्रकार के फिनिशड भवन

रेरा पंजीकरण संख्या : UPRERAPRJ 15931
UPRERAPRJ 15932

(अ) परियोजना की अनुमानित लागत रु0 1841.15 लाख

(ब) परियोजना प्रारम्भ होने की तिथि 01.07.2018

(स) परियोजना पूर्ण होने की तिथि 31.12.2019

(द) परियोजना में फ्लैट / भवन आवंटन / कब्जा की प्रस्तावित तिथि 31.03.2020

भवन का विवरण निम्नवत् है:-

क्र.सं.	योजना का नाम	सम्पत्ति का प्रकार	सम्पत्ति की संख्या	प्लिंथ एरिया वर्ग मी.	प्लॉट एरिया वर्ग मी.	मूल्य (रु. लाख में)	पंजीकरण धनराशि (रु. लाख में)	60 दिन में जमा की जाने वाली धनराशि (रु. लाख में)	अवशेष धनराशि समान् मासिक किश्तों में
1.	लोहरामऊ मार्ग भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सुल्तानपुर	अल्प आय वर्ग प्रकार के फिनिशड भवन (29/60)	59	29.00	60.59	16.15	0.80	4.80	12 वर्षों की 144 मासिक किश्त 10.50 प्रतिशत ब्याज सहित
2.	लोहरामऊ मार्ग भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सुल्तानपुर	मध्यम आय वर्ग प्रकार के फिनिशड भवन (45/75)	42	45.51	75.00	21.15	1.05	6.30	10 वर्षों की 120 मासिक किश्त 10.50 प्रतिशत ब्याज सहित


नोट :- पंजीकरण धनराशि हेतु बैंक ड्राफ्ट / बैंकर्स चेक "उ.प्र. आवस एवं विकास परिषद" के नाम जो सम्बन्धित सुल्तानपुर शहर में देय हो, के पक्ष में होना चाहिए।

भवनों की विशिष्टियां

उपरोक्त प्रकार के भवनों में निर्धारित की गयी मुख्य विशिष्टियों का विवरण –


भवनों के निर्माण की पद्धती	लोड बियरिंग स्ट्रक्चर
स्ट्रक्चर	लोड बियरिंग वाल स्ट्रक्चर ।
फर्श	लिविंग, बेडरूम एवं किचिन में सिरेमिक टाइल्स ।
ट्वायलेट	फर्श पर ऐन्टी स्किड एवं दीवारों पर सिरेमिक टाइल्स ।
किचन	कुकिंग प्लेटफॉर्म पर बड़ौदा ग्रीन एवं प्लेटफार्म के ऊपर सिरेमिक टाइल्स तथा स्टेनलेस स्टील का सिंक ।
चौखट	चौखट एम.एस. आयरन ।
दरवाजे	फ्लस डोर शटर्स 30 एम.एम. आई.एस.आई. मार्क ।
खिड़कियां	जेड सेक्शन एवं एम.एस. ग्रिल ग्लास सहित ।
डोर फिटिंग्स	आई.एस.आई. मार्क ऑक्सीडाइज्ड आयरन डोर फिटिंग्स ।
रंग-रोगन	अन्दर दीवारों तथा छत पर डिस्टैम्पर, बाहरी सतह पर एपैक्स / वैदर कोट फिनिशिंग, दरवाजों पर एनेमेल पेन्ट ।
जलापूर्ति	सभी भवन हेतु छत पर पी.वी.सी. टैंक ।
विद्युत	अग्निरोधक पी.वी.सी. कॉपर कन्सील्ड वायरिंग का प्राविधान ।

House Type - 29/60



PLOT AREA = 60.59 SQ.M.
 CARPET AREA = 24.65 SQ.M.
 PLINTH AREA = 29.00 SQ.M.

House Type - 45/75



PLOT AREA = 75.00 SQ.M.
CARPET AREA = 35.13 SQ.M.
PLINTH AREA = 45.51 SQ.M.

प्राविधान/शर्तें:

1. 18 माह में परियोजना पूर्ण करके कब्जा दिया जाना प्रस्तावित है।
2. सम्पत्ति के वर्तमान निर्धारित मूल्य में अपरिहार्य कारणों, यथा भवन निर्माण सामाग्री की बजार दरों में वृद्धि, श्रमिक मजदूरी में वृद्धि होने की स्थितियों में निर्धारित मूल्य में 20 प्रतिशत तक विचलन सम्भव है फलस्वरूप नियत किशतों की धनराशि में विचलन हो सकता है।
3. भवन की टाइप डिजाइन व ले-आउट अपरिवर्तनीय है, अपरिहार्य कारणों वश किसी परिवर्तन की आवश्यकता होने पर भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम की धारा-14 में वर्णित प्रतिबन्धों / व्यवस्थाओं के अधीन परिवर्तन अनुमन्य होगा।
4. भारत सरकार / राज्य सरकार / स्थानीय निकाय द्वारा आवंटित सम्पत्ति पर आध्यारोपित कर यथा, जी0एस0टी0, ग्रहकर, जल कर आदि का भुगतान आवंटी को स्वयं वहन करना होगा।
5. पंजीकरण पुस्तिका में अंकित कब्जा दिये जाने की सम्भावित तिथि तक सम्पत्ति निर्माण पूर्ण न होने की स्थिति में आवेदक की जमा धनराशि पर भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम-2016 के प्राविधानों के अधीन संदेय ब्याज दर पर क्षतिपूर्ति देय होगी।
6. पंजीकरण पुस्तिका में उल्लिखित नियमों के अतिरिक्त किसी भी विसंगति की स्थिति में भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम-2016 के प्राविधान लागू होंगे।

3. पंजीकरण हेतु पात्रता

- 3.1 आवेदक भारत का नागरिक हो।
- 3.2 आवेदक की आयु, आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि को 18 वर्ष से कम न हो।
- 3.3 बहुमंजिले फ्लैट के आवेदकों के लिए सम्पत्ति सीमा / आय सीमा का प्रतिबन्ध नहीं होगा।
- 3.4 आवेदक अथवा उसका परिवार एक नगर में परिषद से केवल एक ही आवासीय (एकल भवन / भूखण्ड के आवंटन हेतु पात्र होगा।
- 3.5 आवेदक या उसके परिवार के पास उन नगर में जहाँ आवासीय (एकल भवन / भूखण्ड) क्रय करने के लिए पंजीकरण करना है, उस नगरीय क्षेत्र में उसकी या उसके परिवार की कोई सम्पत्ति न हो तथा उ0प्र0 के अन्य किसी नगर अथवा शहरीय क्षेत्र में एक से अधिक सम्पत्ति न हो।
- 3.6 मध्यम / उच्च आय वर्ग भवनों / स्वावित्त पोषित भवनों तथा भूखण्डों में आय सीमा पर प्रतिबन्धित नहीं है।

3.7 अल्प आय वर्ग के भवनों के आवेदको हेतु निर्धारित आय सीमा 6.00 लाख वार्षिक होगी।

4. पंजीकरण के नियम

- 4.1 आवेदन पत्र भरने से पूर्व इस पुस्तिका में दिये गये आवेदन पत्र भरने के लिये निर्देशो का अध्ययन अवश्य कर लें, ताकि आवेदन-पत्र में किसी प्रकार की त्रुटि न होने पायें। अधूरे एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन स्वीकार नहीं होंगे।
- 4.2 पंजीकरण हेतु निर्धारित बैंक से पंजीकरण पुस्तिका क़य करके आवेदन पत्र सही व पूर्ण रूप से भरकर निर्धारित तिथि तक चिन्हित बैंक की किसी निर्धारित शाखा में अन्तिम तिथि से पूर्व वांछित संलग्नको व पंजीकरण धनराशि सहित जमा करना होगा।
- 4.3 पंजीकरण एक से अधिक या संयुक्त नाम से नहीं किया जा सकता है। केवल पति-पत्नी के लिए संयुक्त पंजीकरण अनुमन्य है।
- 4.4 यदि कोई पंजीकृत आवेदक लॉट्री ड्रॉ की तिथि से पूर्व अपनी जमा पंजीकरण धनराशि वापस लेना चाहता है तो उसकी लिखित सहमति के आधार पर उसका पंजीकरण आवेदन निरस्त करते हुए जमा पंजीकरण धनराशि बिना कटौती बिना ब्याज वापस कर दी जायेगी।
- 4.5 यदि कोई आवेदक लाटरी में चयनित होने के बाद, परन्तु निर्गत प्रदेशन पत्र में निर्धारित धनराशि जमा करने के अनिमि तिथि से पूर्व पंजीकरण निरस्त करने का आवेदन करता है, तो पंजीकरण धनराशि में से 20 प्रतिशत कटौती करते हुए अवशेष धनराशि बिना किसी ब्याज के वापस कर दी जायेगी।
- 4.6 उत्तर प्रदेश भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम की शर्तो के अनुसार अनुबन्ध निष्पादन किया जायेगा।
- 4.7 अनुबन्ध निष्पादन के बाद सम्पत्ति निरस्तीकरण सम्बन्धी आवेदन करने पर पंजीकरण/आवंटन निरस्तीकरण की कार्यवाही अनुबन्ध की शर्तो के अधीन होगी। अवशेष धनराशि बिना ब्याज के आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से आवेदक के बैंक खातों में हस्तान्तरित होगी।
- 4.8 प्राकृतिक आपदाओं एवं अन्य अपरिहार्य कारणों के अतिरिक्त योजना संचालित न होने की स्थिति में एवं पंजीकरण धनराशि एक वर्ष से अधिक अवधि तक परिषद खाते में जमा रहने पर राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा बचत खातों पर सदेय ब्याज के अनुसार ब्याज देय होगा।
- 4.9 भवन निर्माण एवं कब्जे में विलम्ब की स्थिति में भू-सम्पदा विनियमन एवं विकास अधिनियम के प्राविधानों के अधीन कार्यवाही/क्षतिपूर्ति अनुमन्य होगी।

5. भुगतान का तरीका

अल्प आय वर्ग हेतु (12 वर्ष में 144 समान मासिक किश्तों में 10.50 प्रतिशत ब्याज सहित) मध्यम आय वर्ग हेतु (10 वर्ष में 120 समान मासिक किश्तों में 10.50 प्रतिशत ब्याज सहित)

- 5.1 भुगतान की तिथि एवं किश्तों की धनराशि जमा करने के सत्वन्ध में विवरण, पात्रता चयन होने पर मांग पत्र के माध्यम से सूचित किया जायेगा। मांग पत्र निर्गमन तिथि से प्रथम किश्त की धनराशि 60 दिन के अन्दर बैंक कार्य दिवस में सीधे निर्धारित बैंक शाखा में या ऑन लाईन भी जमा की जा सकेगी तथा शेष धनराशि 144 समान मासिक किश्तों में 10.50 प्रतिशत ब्याज सहित अल्प आय वर्ग हेतु मध्यम आय वर्ग हेतु 120 समान मासिक किश्तों में 10.50 प्रतिशत ब्याज सहित देय होगी।
- 5.2 भवन का सार्वजनिक लाटरी ड्रा से आवेदक को भवन आवंटित किया जायेगा।
- 5.3 सम्पत्तियों पूर्ण भुगतान / किश्त क्रय पद्धति पर आवेदकों के आवेदन के आधार पर आवंटित की जायेगी। समीकृत मासिक किश्तों में रु0 10.00 लाख विक्रय मूल्य की आवासीय सम्पत्तियों पर 9.5 प्रतिशत 10 लाख से 25 लाख तक के विक्रय मूल्य पर 10.50 प्रतिशत, 25 लाख से अधिक सम्पत्तियों पर 11.50 प्रतिशत साधारण ब्याज समाहित होगा। देय धनराशि समयान्तर्गत जमा न किये जाने की स्थिति में विलम्ब अवधि हेतु आवंटन पत्र में अंकित ब्याज दर के साथ 02 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज देय होगा, अन्यथा आवंटन एवं पंजीकरण बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार परिषद का होगा।
- 5.4 आवंटी किसी भी समय अवशेष किश्तों की निर्धारित संख्या से कम किश्तों में भुगतान करने हेतु आवेदन करता है अथवा कुछ धनराशि एक मुश्त जमा करके किश्तों की धनराशि कम करने हेतु अनुरोध करते हैं तो इस प्रकार की अनुमति सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय के प्रभारी स्तर से दी जा सकती है। किश्त पर आवंटित प्रश्नगत सम्पत्ति का अवशेष मूल्य किसी भी समय एक मुश्त जमा किया जा सकता है। उस समय देय अवशेष मूलधन में से 02 प्रतिशत की छूट भी दी जायेगी।
- 5.5 आवेदक द्वारा निर्धारित तिथिहा से 03 माह के अन्दर देय किश्त की निर्धारित मूल धनराशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो उसका पंजीकरण स्वतः निरस्त समझा जायेगा, और जमा की गयी धनराशि की वापसी परिषद के नियमों के अनुसार पंजीकरण धनराशि में से निर्धारित कटौती करते हुए बिना ब्याज के की जायेगी।
- 5.6 भुगतान मासिक / त्रैमासिक / छमाही एवं वार्षिक किश्तों में अनुमन्य होगा। पंजीकरण के उपरान्त मांग पत्र के अनुसार देय किश्तों की धनराशि का भुगतान परिषद द्वारा अधिकृत बैंक में ही बैंक ड्राफ्ट / बैंकर्स चेक अथवा ऑन लाइन के माध्यम से किया जा सकेगा। बैंक ड्राफ्ट / बैंकर्स चेक "उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद" / "UPAVP" के नाम जो सम्बन्धित शहर में देय हो, के पक्ष में

होना चाहिए। उक्त ड्राफ्ट मांग-पत्र में अधिकृत बैंक शाखा को पंजीकरण संख्या / चालान संख्या आवेदक का नाम, योजना का नाम, भवन संख्या एवं श्रेणी आदि विवरण सहित निर्धारित बैंक चालान पर परिषद खाते में जमा करना होगा।

6. सम्पत्ति आवंटन प्रक्रिया:

- 6.1 परिषद / शासनादेशों के अनुसार पंजीकरण पात्रता ड्रॉ में आरक्षण की सुविधा आवेदकों के प्राप्त आवेदन पत्रों के मध्य नियमानुसार दी जायेगी।
- 6.2 प्राप्त आवेदनों की संख्या उपलब्ध सम्पत्ति की संख्या से अधिक होने पर सार्वजनिक लॉटरी के आधार पर आवंटन किया जायेगा। उक्त आवंटन में असफल आवेदकों को उनकी जमा धनराशि बिना ब्याज के परिषद द्वारा निर्धारित बैंक से एक माह में आवेदक के अपने आवेदन में अंकित किए गये बचत खाते में R.T.G.S. के माध्यम से वापस कर दी जायेगी।
- 6.3 सम्पत्ति का आवंटन आवेदकों की सहमति से ग्रुपिंग के एक साथ रहने के आधार पर भवन की उपलब्धता की स्थिति में प्रार्थना पत्र देने पर ग्रुपिंग की सुविधा यथासंभव दी जायेगी। लाटरी में ग्रुपिंग न मिलने पर आवेदक का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा क्योंकि यह सुविधा है अधिकार नहीं।
- 6.4 सामान्यतः आवंटित सम्पत्तियों का परिवर्तन नहीं किया जायेगा। विशेष कारणों एवं आवंटी की प्रार्थना पर पंजीकरण एवं आवंटित सम्पत्तियों का परिवर्तन नियमानुसार रिक्त के विरुद्ध परिषद द्वारा निर्धारित परिवर्तन शुल्क देने की शर्त के अधीन सक्षम स्तर द्वारा किया जा सकता है। यह परिवर्तन सम्पत्तियों का विक्रय विलेख निष्पादन से पूर्व ही अनुमन्य होगा।
- 6.5 पात्रता चयन के एक सप्ताह पूर्व समस्त आवेदकों की सूची परिषद वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी, जिसमें पात्रता चयन हेतु निर्धारित तिथि से पूर्व यदि कोई त्रुटि / कमी परिलक्षित होती है तो उसका निराकरण सम्बन्धित, सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय के प्रभारी अधिकारी के द्वारा किया जा सकेगा। अन्यथा की स्थिति में पात्रता चयन के समय एवं उसके पश्चात कोई दावा मान्य नहीं होगा तथा आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।
- 6.6 सम्पत्ति के विरुद्ध प्राप्त पंजीकरण आवेदनों को सामान्य श्रेणी एवं आरक्षित श्रेणीवार पृथक-पृथक करते हुए पृथक-पृथक सूची तैयार की जायेगी।
- 6.7 सम्पत्ति आवंटन हेतु लाटरी के नियत तिथि, समय की सूचना परिषद वेबसाइट पर 10 दिन पूर्व प्रदर्शित कर दी जायेगी।
- 6.8 लाटरी की नियत तिथि, स्थान, समय की सूचना दो समाचार पत्रों में भी विज्ञप्ति के माध्यम से कम से

कम 10 दिन पूर्व प्रसारित करायी जायेगी ।

- 6.9 लाटरी के सफल आवेदकों एवं उनको आवंटित सम्पत्तियों का विवरण लाटरी ड्रा के पश्चात परिषद वेबसाइट पर यथा सम्भव उसी दिन प्रसारित कर दी जायेगी ।
- 6.10 सफल आवेदकों को आवंटित सम्पत्ति का आवंटन पत्र निर्गमन से पूर्व भू-सम्पदा (विनियम और विकास) अधिनियम-2016 के प्राविधानों के अधीन विहित प्रारूप पर विक्रय करार निष्पादित करना होगा और उक्त करार पत्र के समस्त उपबन्ध बाध्यकारी होंगे तथा उसको नियमानुसार उप निबन्धन कार्यालय में निबन्धन करना होगा, इस प्रक्रिया में आने वाला व्यय भार आवंटी द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा ।

7. आरक्षण :

क्र० सं०	श्रेणी	आरक्षण प्रतिशत	अतिरिक्त रियायते तथा सूचनात्मक टिप्पणी
1	अनुसूचित जाति	21	पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी/उपजिलाधिकारी/तहसीलदार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करानी होगी।
2	अनुसूचित जनजाति	2	---तदैव---
3	अन्य पिछड़ा वर्ग	27	---तदैव---
4	मा० विधायक / सांसद / स्वतंत्रता संग्राम सेनानी	5	(अ) पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ जिलाधिकारी/अधिकृत प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध कराये। (ब) समुचित प्रमाण।
5	सरकारी सेवाओं तथा सुरक्षा सेवाओं के कर्मचारी जो 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों।	5	पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ अधिकृत प्राधिकारी का प्रमाण-पत्र की प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध कराये।
6	उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, विकास प्राधिकरण, जल संस्थान, नगर महापालिका व स्थानीय निकायों के कर्मचारी	2	पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ अधिकृत अधिकारी/सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र मूलरूप में उपलब्ध कराये। शर्त यह है कि कर्मचारी नियमित अधिष्ठान के अर्न्तगत कार्यरत हों।
7	समाज के विकलांग व्यक्ति	3	मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध कराये।
8	वरिष्ठ नागरिक (आवेदन पत्र को जमा करने की निर्धारित अन्तिम तिथि तक 60 वर्ष अथवा उससे अधिक की आयु पूर्ण होने के आधार पर)	10	हाईस्कूल प्रमाण पत्र/सेवानिवृत्ति प्रमाण पत्र/पेंशन पेपर का प्रमाण पत्र की किसी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध कराये। इन प्रमाण पत्रों के उपलब्ध न होने पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्गत आयु प्रमाण पत्र की किसी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध कराये।

नोट :- उपरोक्त में से क्रमांक 1 से 3 में आवेदक जिस वर्ग में आवेदन करेंगे लाट्री में उसी श्रेणी में सम्मिलित किया जायेगा। क्रमांक 04 से 08 तक के आरक्षण शासनादेश / परिषदादेशों के प्राविधानानुसार श्रेणी 01 से 03 तक व अनारक्षित श्रेणी के मध्य से ही हॉरिजोन्टल रूप से किया जायेगा।

हॉरिजोन्टल आरक्षण लागू होने की दशा में एक ही विकल्प मान्य होगा।

7. श्रेणी

- 7.1 कोड न भरने की स्थिति में आवेदक को अनारक्षित श्रेणी में सम्मिलित किया जायेगा। यह उल्लेखनीय है कि यदि आवेदक किसी आरक्षण का कोड भरने के आधार पर चयनित हो जाता है तो आरक्षण श्रेणी की पुष्टि प्रमाण पत्रों से की जानी अनिवार्य होगी। त्रुटिपूर्ण प्रमाण होने की स्थिति में अथवा प्रमाण-पत्र सत्यापित न होने की स्थिति में आवेदन-पत्र निरस्त किया जायेगा तथा आवेदक के विरुद्ध अन्य विधिक कार्यवाही की जा सकेगी।
- 7.2 उ.प्र. के अतिरिक्त अन्य राज्य के आरक्षित वर्ग के व्यक्ति पात्र नहीं माने जाएंगे उन्हें अनारक्षित श्रेणी हेतु पात्र माना जायेगा।

8. असफल आवेदकों को पंजीकरण धनराशि की वापसी

- 8.1 पात्रता चयन के पश्चात् असफल आवेदकों की जमा पंजीकरण धनराशि एक माह के अन्दर परिषद द्वारा निर्धारित बैंक द्वारा सीधे आवेदक के खाते में वापस कर दी जायेगी।

9. भवन का भौतिक कब्जा

- 9.1 भवन का निर्माण मांग पत्र निर्गमन की तिथि से 18 माह की अवधि में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।
- 9.2 आवंटन लाटरी में सफल आवेदकों को लाटरी तिथि से 30 दिनों के अन्दर सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय में उपस्थित होकर निर्धारित प्रारूप पर बिक्री करार (Agreement to sale) निष्पादित पंजीकृत कराना होगा।
- 9.3 बिक्री करार (Agreement to sale) निष्पादित के पश्चात ही आवंटन/मांग पत्र निर्गत होगा।
- 9.4 आवंटी द्वारा आवंटन पत्र के अनुसार भवन का मूल्य व अन्य समस्त देयक परिषद खाते में भुगतान के उपरानत पंजीयन/सेल डीड कराने से पूर्व करना होगा। शासन द्वारा निर्धारित दरों पर देय स्टाम्प ड्यूटी व रजिस्ट्री शुल्क की अदायगी एवं निबन्धन के पश्चात भौतिक कब्जा हस्तगत किया जायेगा।
- 9.5 कब्जा पत्र निर्गत करने की तिथि से दो माह के अन्दर भवन का कब्जा न लेने पर आवंटी को अनुबन्ध में उल्लिखित विवरण के अनुसार विलम्ब शुल्क एल0आई0जी0 हेतु रु0 20.00 प्रतिदिन एवं एम0आई0जी0 हेतु रु0 50.00 की दर से देना होगा।

10. तथ्यों का छिपाना

यदि आवेदक द्वारा दिया गया कोई विवरण असत्य पाया जाता है, तो उसके पंजीकरण /आवंटन/निबन्धन को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद में निहित होगा तथा आवंटी द्वारा जमा की गयी धनराशि जब्त कर ली जायेगी एवं नियमानुसार विधि समस्त अन्य कार्यवाही की जा सकेगी।

11. अन्य महत्वपूर्ण सूचना/शर्तें

- 11.1 योजना आवासीय है। अतः भवन का प्रयोग केवल आवास हेतु किया जायेगा। आवंटी को भवन में किसी प्रकार का निर्माण या परिवर्धन अनुमन्य नहीं है। उल्लंघन किये जाने पर विधिक कार्यवाही कर

विक्रय-विलेख एवं आवंटन निरस्त किया जा सकेगा।

- 11.2 पंजीकृत की मृत्यु होने पर उसके उत्तराधिकारी के पक्ष में जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी/उपजिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र, इन्डमिनिट बॉण्ड अन्य उत्तराधिकारियों द्वारा अनापत्ति शपथ पत्र प्रस्तुत करने पर पंजीकरण एक नाम के पक्ष में परिवर्तित किया जायेगा किन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि ऐसा व्यक्ति उस सम्पत्ति के पंजीकरण की सभी शर्तें पूरी करता हो।
- 11.3 परिषद विनियमों के प्राविधानों में किसी धारा-उपधारा के रहते हुए भी किन्हीं विशेष परिस्थितियों में आवास आयुक्त को अन्यथा निर्णय लेने का पूर्ण अधिकार होगा।
- 11.4 इन विनियमों के अधीन उत्तपन होने वालेवादों के लिए सम्बन्धित नगर स्थिति दीवानी न्यायालय का ही अधिकार क्षेत्र होगा।

12. कराधान विधियाँ (G.S.T. सम्बन्धी प्राविधान)

- 12.1 जिस सम्पत्ति का निर्णय ग्राहकों की धनराशि से अर्थात् एस0एफ0एस0 योजना के अन्तर्गत किया गया है, उस पर नियमानुसार जी0एस0टी0 देय होगी।
- 12.2 निर्मित भवनों के आवंटन पत्र के अनुसार जी0एस0टी0 देय होगी।
- 12.3 आवंटी को भवन के मूल्य पर 12 प्रतिशत फ्री होल्ड चार्ज अलग से देय होगा।
- 12.4 साइट प्लान चार्जेज, भवन परिवर्तन शुल्क, विद्युत संयोजन एवं सुरक्षा इत्यादि सेवाओं हेतु 18 प्रतिशत की दर से जी0एस0टी0 देय होगी।
- 12.5 जी0एस0टी0 की दरे वर्तमान में प्रभावी शासनादेशों के अधीन निर्धारित एवं परिवर्तनीय है। भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा इनकी दरों में संशोधन किए जाने की स्थिति में आवंटियों/क्रेताओं को यथा संशोधित दरों से जी0एस0टी0 का भुगतान करना होगा।

आवेदन पत्र भरने के लिए निर्देश

- 1 आवेदन पत्र हिन्दी या अंग्रेजी में भर सकते हैं। आवेदन पत्र काले अथवा नीले बाल प्वाइन्ट पेन से भरा जायें।
- 2 आवेदन पत्र में नाम (क्रमांक 4) हिन्दी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में अनिवार्य रूप से भरा जायें।
- 3 अंग्रेजी में अपेक्षित सूचनाये भरते समय अपेक्षित है कि इस आवेदन पत्र के ब्लाक को अंग्रेजी के बड़े अक्षरो (BLOCK LETTERS) में ही भरें। हस्ताक्षर किसी भी भाषा में किये जा सकते हैं।
- 4 आवेदक केवल अंको के अन्तर्राष्ट्रीय रूप का ही प्रयोग करें जैसे : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9।
- 5 आवेदक को पासपोर्ट साईज का स्वहस्ताक्षरित फोटोग्राफ आवेदन पत्र पर यथास्थान लगाना है तथा इस प्रकार हस्ताक्षर किये जाये कि हस्ताक्षर का आधार भाग आवेदन पत्र पर एवं आधार भाग फोटोग्राफ पर आये। संयुक्त आवेदक (पति-पत्नी) की ओर से आवेदन की स्थिति में दोनों का संयुक्त फोटोग्राफ लगाया जाना अपेक्षित होगा।
- 6 एक ब्लाक (BLOCK) में एक ही वर्ण (अक्षर या अंक) लिखें।
- 7 नाम अथवा पता भरते समय दो शब्दों के बीच एक रिक्त स्थान / ब्लाक छोडा जायें।
- 8 आवेदन पत्र में बिन्दु-6 पर अंकित लिंग (SEX) कॉलम में पुरुष हेतु 'M' एवं महिला हेतु 'F' भरें। संयुक्त आवेदन की स्थिति में (पति-पत्नी) हेतु 'HW' भरें।
- 9 सम्पत्ति श्रेणी के विषय में पंजीकरण पुस्तिका में दिये गये विवरण से अल्प आय वर्ग एवं मध्यम आय वर्ग में किसी एक को भरना होगा।
- 10 आरक्षण की श्रेणी भरने के लिये पंजीकरण पुस्तिका में उल्लिखित "आरक्षण" नियमों का अध्ययन करें। आरक्षण के प्राविधानों को दृष्टिगत रखते उचित कोड भरना अनिवार्य होगा। रिक्त स्थान रहने की स्थिति में अभ्यर्थी को अनारक्षित श्रेणी में माना जायेगा।

आवेदन पत्र भरने के लिए कोड की सूची (आरक्षण कोड)

आरक्षण श्रेणी	कोड संख्या
अनुसूचित जाति	01
अनुसूचित जन जाति	02
अन्य पिछड़ा वर्ग	03
अनारक्षित	04
हारिजेन्टल आरक्षण कोड	
मा10 विधायक, सांसद, स्वतंत्रता संग्राम सैनानी	F
सरकारी सेवकों तथा सुरक्षा सेवाओं के कर्मचारी जो 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों	G
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, विकास प्राधिकरण, जल संस्थान, नगर महापालिका व स्थानीय निकायों के कर्मचारी	B
समाज के विकलांग व्यक्ति	D
वृद्धजन, वरिष्ठ नागरिक	O

आरक्षण वर्ग के आवेदकों को सम्पत्ति आवंटन के उपरान्त आरक्षण श्रेणी का प्रमाण पत्र जिलाधिकारी कार्यालय से निर्गत कराकर देना होगा। उक्त के उपरान्त ही आवंटन पत्र निर्गमन की कार्यवाही की जायेगी।

मुख्य परिभाषायें

निम्नलिखित शब्द / शब्द समूह एवं संक्षिप्त शब्द इस पुस्तिका तथा संलग्न प्रपत्रों में प्रयोग किये गये हैं, जहाँ-जहाँ वे प्रयुक्त किये गये हैं, उनके निम्नलिखित अर्थ होंगे:-

आवेदक का परिवार :-

इसमें स्वयं आवेदक / इच्छुक क्रेता, उसकी पत्नी / पति तथा अवयस्क बच्चे सम्मिलित हैं।

आय :-

आय का तात्पर्य इच्छुक क्रेता के समस्त श्रोतों से होने वाली गत वित्तीय वर्ष की वार्षिक आय से है, इसमें इच्छुक क्रेता उसके पति / पत्नी तथा अवयस्क बच्चे की आय सम्मिलित होगी।

भूखण्ड / भवन :-

“भवन या मकान” शब्द में: “प्लैट” भी सम्मिलित है तथा भूखण्ड का तात्पर्य आवासीय भूमि के भूखण्ड से है। सम्पत्ति :-

सम्पत्ति का तात्पर्य विकसित आवासीय भूखण्ड अथवा निर्मित भवन / प्लैट एवं गुप हाउसिंग भूखण्ड से है।

चरण (पंजीकरण का खुलना) :-

इसका तात्पर्य निर्धारित अवधि के लिये विशिष्ट श्रेणी की सम्पत्ति के लिये पंजीकरण खुलने पर आवेदन पत्र आमत्रित करने से है। चरण संख्या या कोड पंजीकरण खुलने की अवधि तथा तिथि सम्बन्धित है, इसलिये विभिन्न चरणों के लिये भिन्न होगी। इसी प्रकार पंजीकरण चरण पत्र में इस विशेष पंजीकरण से सम्बन्धित जानकारी दी गयी है।

पंजीकरण का दौर :-

इसका तात्पर्य पंजीकरण की उस प्रक्रिया से है, जिसके अन्तर्गत एक विशेष अवधि में पंजीकरण किया जाता है।

सरकारी सेवाओं से तात्पर्य :-

उ0प्र0 राज्य अथवा राज्याधीन उपक्रम की सेवा में कार्यरत ऐसे कर्मचारी जो 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो से है।

स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है :-

- (1) जो उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हो और जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया हो, जिसके द्वारा इन कार्यकलापों में भाग लेने के फलस्वरूप कम से कम दो माह की अवधि के लिये कारावास का दण्ड भोगा गया हो या जिसे नजरबंदी या अंडर ट्रायल कैदी के रूप में जेल में कम से कम तीन माह की अवधि के लिये रखा गया हो या कम से कम 10 बंटों की सजा पायी हो या फरार घोषित किया गया हो या स्वतंत्रता संग्राम में गोली से घायल हुआ हो।
- (2) जो पेशावर कांड में रहे हों या जो भूतपूर्व आजाद हिन्द फौज के प्रमाणित सैनिक हों या भूतपूर्व इण्डिया इण्डिपेन्डेंस लीग के प्रमाणित सदस्य रहे हों।

सुरक्षा सैनिक का तात्पर्य :-

सेवारत / सेवानिवृत्त सुरक्षा सैनिक से है।

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ी जाति

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ी जाति का तात्पर्य शासन द्वारा प्रसारित आदेशान्तर्गत आने वाली जातियों से है।

नेत्रहीन तथा विकलांग व्यक्ति का तात्पर्य :-

शासन अथवा जिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित नेत्रहीन / विकलांग व्यक्ति से है।

परिषद कर्मचारी का तात्पर्य :-

परिषद के नियमित अधिष्ठान में सीधी भर्ती या प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्त अधिकारी / कर्मचारी से है जिनकी दो वर्ष सेवा पूरी हो।

परिषद का तात्पर्य :-

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद से है।

विकास प्राधिकरण / जल संस्थान / नगर महापालिका व स्थानीय निकाय के कर्मचारियों का तात्पर्य :-

ऐसे कर्मचारी जो नियमित अधिष्ठान में सीधी भर्ती से नियुक्त हों।

विनियामक प्राधिकरण का तात्पर्य-उत्तर प्रदेश भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण से है।

रु. 10/- के स्टैम्प पेपर पर (नोटरी द्वारा सत्यापित) समक्ष

आवास आयुक्त उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद

शपथ-पत्र

समक्ष : आवास आयुक्त उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद

मैं श्री/श्रीमती/कुमारी

पुत्र/पुत्री/पत्नी उम्र वर्ष

निवासी

शपथ पूर्वक बयान करता/करती हूँ :

1. मैं एतद्द्वारा शपथ पूर्वक बयान करता/करती हूँ कि मैंने इस आवेदन पत्र के साथ दिये गये पंजीकरण योजना के नियमों, शर्तों, दशाओं विशेष सूचनाओं की परिभाषा, पंजीकरण के इस चरण की प्रक्रिया, जिसका उल्लेख इस पुस्तिका में किया गया है, को स्पष्ट समझ लिया तथा मैं इसके पालन का वचन देता/देती हूँ।
2. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने अथवा मेरे पति/पत्नी तथा आश्रित बच्चे के उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की किसी भी योजना के अन्तर्गत और उ0प्र0 के किसी अन्य नगर में एक से अधिक आवासीय भूखण्ड/भवन नहीं हैं।
3. जिस नगर अथवा क्षेत्र के लिये मैं आवेदन कर रहा/रही हूँ उसमें मेरा अथवा मेरे पति/पत्नी या आश्रित बच्चे के नाम कोई आवासीय भूखण्ड/भवन नहीं है। यदि आवंटन के पूर्व आवेदित नगर में किसी सदस्य द्वारा कोई भूखण्ड/भवन क्रय किया जाता है तो उसकी लिखित सूचना मैं तुरन्त परिषद मुख्यालय को दूँगा/दूँगी।
4. मैं शपथ पूर्वक बयान करता/करती हूँ कि गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में समस्त श्रोतों से मेरी कुल वार्षिक आय (रु.) थी जिसमें मेरे परिवार के समस्त सदस्यों एवं आश्रित संबंधियों की आय सम्मिलित है।
5. मैं एतद्द्वारा शपथ पूर्वक बयान करता/करती हूँ कि धारा 1 से 4 में कहा गया कथन सर्वथा सत्य है। यदि किसी समय यह ज्ञात हो कि मेरे द्वारा कोई असत्य विवरण जान-बूझकर परिषद को दिया गया है तो परिषद को मेरे विरुद्ध जो उपयुक्त समझे, कार्यवाही करने का अधिकार होगा।

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

घोषणा

मैं एतद्द्वारा शपथ बयान करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा उपरोक्त क्रमोंक 1 से क्रमांक 4 तक की दी गयी सूचना मेरे पूर्ण ज्ञान एवं विश्वास से सर्वथा सत्य है और कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

आवेदन पत्र में भरने के लिए कोड की सूची

आरक्षण श्रेणी	कोड
अनुसूचित जाति	01
अनुसूचित जन जाति	02
अन्य पिछड़ा वर्ग	03
अनारक्षित	04
हारिजेन्टल आरक्षण कोड	
विधायक, सांसद, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी	F
सरकारी सेवकों तथा सुरक्षा सेवाओं के कर्मचारी जो 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों।	G
उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद, विकास प्राधिकरण, जल संस्थान, नगर महापालिका व स्थानीय निकायों के कर्मचारी।	B
वर्तमान सैनिक, भूतपूर्व सैनिक व उनके आश्रित	R
समाज के विकलांग व्यक्ति	D
वृद्धजन	O
विस्थापित	W

लिंग	कोड
स्त्री	F
पुरुष	M
संयुक्त आवेदन की स्थिति में	HW
भुगतान	कोड
नगद	01
किश्त	02

निर्धारित बैंक शाखाओं का विवरण जहाँ से पंजीकरण पुस्तिका प्राप्त करने एवं आवेदन पत्र
(पंजीकरण धनराशि सहित) जमा करने की सुविधा उपलब्ध है।

पंजीकरण 05.05.2018
से प्रारम्भ

आवेदन पत्र जमा करने हेतु
अन्तिम तिथि 05.06.2018

बैंक का नाम	शाखा	पता	शाखा प्रबन्धक का नाम	दूरभाष नं०
बैंक ऑफ इण्डिया	सुल्तानपुर	इलाहाबाद रोड, निकट दरियापुर तिराहा, सुल्तानपुर	श्री सूर्यकान्त चौरसिया	05362-226526

ऑनलाईन की सुविधा भी उपलब्ध है।

पंजीकरण हेतु ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी उपलब्ध है। विस्तृत जानकारी परिषद की वेबसाइट www.upavp.in पर उपलब्ध है। परिषद के आवंटित भवन की किशतों को ऑनलाइन जमा करने की सुविधा परिषद की वेबसाइट www.upavp.in के लिंक "Ledger view @ Online Payment" पर उपलब्ध है। कृपया इस सुविधा का अधिक से अधिक लाभ उठायें।

नोट :

- * उक्त के अतिरिक्त पंजीकरण पुस्तिका निर्धारित शुल्क रु० 250.00/- देकर प्रचार अनुभाग उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, 104 महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ पर कार्यालय समय में उपलब्ध होगी।
- * पंजीकरण आवेदन फार्म केवल उल्लिखित बैंक में ही जमा होंगे।

योजना के क्रियान्वयन की जानकारी हेतु परिषद के अधिकारियों से सम्पर्क कर सकते हैं।

इं० वी०एन० दीक्षित
अधीक्षण अभियन्ता
मुख्यालय वृत्त
मो०न० : 8795810038

इं० डी०के० श्रीवास्तव
अधीक्षण अभियन्ता
निर्माण खण्ड-31
मो०न० : 8795811578

योजना में पंजीकरण/आवंटन की जानकारी के लिए परिषद अधिकारियों से सम्पर्क कर सकते हैं।

डॉ० अनिल कुमार
उप आवास आयुक्त
वाराणसी जोन
मो०न० : 8795810018

श्री ओ०पी० सिंह
सम्पत्ति प्रबन्धक
मो०न० : 8795810747

श्री शरद कुमार शर्मा
लेखाकार
सम्पत्ति प्रबन्धक कार्यालय
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद,
जवाहर नगर, भेलूपुर वाराणसी
मो०न० : 7705002887

परिषद की लोहरामऊ योजना—सुल्तानपुर (जी+3) टाईप भवनों के आन—लाइन पंजीकरण हेतु आवश्यक दिशा—निर्देश

परिषद की लोहरामऊ योजना—सुल्तानपुर में अल्प आय वर्ग एवं मध्यम आय वर्ग के भवनों (जी+3) के आन—लाइन पंजीकरण (Online Registration) में निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करते हुए आवेदन किया जा सकता है :-

आन—लाइन पंजीकरण (Registering Online) एवं पंजीकरण धनराशि का भुगतान (Payment of Registration Amount)

- आन—लाइन पंजीकरण प्रारम्भ होने पर आवेदक सर्वप्रथम परिषद वेबसाइट www.upavp.in पर जाकर मुख्य पृष्ठ (Homepage) के लिंक "Online Registration of Flats/Houses" पर क्लिक करना होगा।
- इसके पश्चात खुलने वाले वेब—पेज के योजनावार पंजीकरण हेतु उपलब्ध लिंक्स में जिस योजना में आवेदन करना है, उसपर क्लिक करना होगा।
- आवेदक द्वारा संबंधित योजना / फ्लैट्स की समस्त जानकारियाँ भली—भाँति पढ़कर 'Apply Online' लिंक पर क्लिक किया जायेगा।
- तत्पश्चात उपलब्ध होने वाले वेबपेज पर आवेदक द्वारा अपने आवेदन से संबंधित मुख्य जानकारियाँ (Basic Informations) यथा—नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, मोबाईल नम्बर, ई—मेल, पैन नम्बर, निवास—पता, इच्छित सम्पत्ति, पंजीकरण शुल्क के भुगतान का प्रकार, स्कैन्ड फोटोग्राफ / हस्ताक्षर एवं आरक्षण श्रेणी आदि विवरण आन—लाइन अपलोड / फीड किये जायेंगे।
- उक्त प्रक्रिया सम्पन्न करने के उपरान्त आवेदक द्वारा 'Submit' बटन पर क्लिक किया जायेगा।
- 'Submit' करने के उपरान्त आवेदक द्वारा 'Confirm' करने की दशा में उसे अपने आन—लाइन पंजीकरण से संबंधित विवरण, यूजर आईडी / पासवर्ड के साथ—साथ पंजीकरण धनराशि के भुगतान के दिशा—निर्देश सहित प्राप्त होंगे।
- उक्त वेब पेज पर अंकित लिंक 'Print' पर क्लिक करते हुए आवेदक द्वारा ई—रसीद (e-Receipt) का प्रिन्ट आउट भविष्य के सन्दर्भ हेतु अनिवार्य रूप से प्राप्त किया जायेगा।

पंजीकरण धनराशि का भुगतान

- उपरोक्तानुसार आन—लाइन आवेदन के अन्तर्गत आवेदक द्वारा प्राप्त होने वाले प्रिन्ट—आउट में उल्लिखित दिशा—निर्देशों का अनुपालन करते हुए पंजीकरण के पश्चात निम्नलिखित विवरणानुसार पंजीकरण धनराशि एवं आवेदन शुल्क के भुगतान की कार्यवाही की जायेगी:-

- ✓ Visit website www.upavp.in & click on link "Online Registration of Flats/Houses "
- ✓ Click on concerning scheme's webpage link.
- ✓ Click on 'Apply Online' link & provide basic details and property.
- ✓ Please verify the registration details and click 'Confirm' button.
- ✓ Applicant can pay registration fee instantly, if Payment mode was selected as **Netbanking/Debit/Credit Card**.
- ✓ If applicant selected '**e-challan**' payment mode, then 'e-challan' will be generated.
- ✓ Take the printout of 'e-challan' and pay registration fee at nearest **HDFC branch**.

- उपरोक्तानुसार पंजीकरण धनराशि / आवेदन शुल्क जमा करने के उपरान्त बैंक द्वारा आवेदक को Transaction ID प्रदान की जायेगी।

(नोट-डिमाण्ड ड्राफ्ट / बैंकर्स चेक "उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद" के पक्ष में देय होना चाहिए।)

- उपरोक्तानुसार पंजीकरण धनराशि के भुगतान उपरान्त प्राप्त हुई Transaction ID का उपयोग करते हुए आवेदन सम्बन्धी अन्य जानकारियाँ दर्ज / अपलोड की जायेगी।
- आन-लाईन पंजीकरण द्वारा आवेदन से सम्बन्धित रजिस्ट्रेशन फार्म की प्रिन्टेड कॉपी की एक प्रति आवेदक द्वारा समस्त आवश्यक प्रमाणपत्रों की सत्यापित प्रतियाँ (फोटो आई0डी0 प्रमाण, जाति / आरक्षण प्रमाणपत्र, नोटरी घोषणा-पत्र, ई-चालान की प्रति आदि) सहित निम्नांकित पते पर रजिस्टर्ड डाक द्वारा प्रेषित किये जायेंगे :-

लोहरामऊ योजना, सुल्तानपुर के पंजीकरण हेतु पत्राचार का पता-

"सम्पत्ति प्रबंधक

सम्पत्ति प्रबंध कार्यालय-लोहरामऊ योजना, सुल्तानपुर

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,

ए-1, आफिस काम्प्लेक्स,

तेलियरगंज, इलाहाबाद (उ0 प्र0)-211004"

नामान्तरण-सहमति पत्र

आवेदक का एकल फोटो
अथवा
संयुक्त रूप से पति पत्नी

आवेदक का स्वहस्ताक्षरित
पासपोर्ट साइज फोटो (हस्ताक्षर
इस प्रकार कि आधा फोटो के
ऊपर व आधा फार्म पर हो)

नामान्तरण / Nomination

मैं यह घोषणा करता / करती हूँ कि मेरी
मृत्यु हो जाने पर श्री / श्रीमती जो रिश्तों में
मेरे / मेरी है
को मैं पंजीकरण के नामान्तरण हेतु नामित करता / करती हूँ।

कार्यालय प्रयोगार्थ

दिनांक.....


आवेदक के हस्ताक्षर

स्थान.....

पूर्ण पता.....

.....
.....


- सम्पर्क सूत्र—
परिषद ई-मेल : info@upavp.com
वेबसाइट : www.upavp.in
टोल फ्री नम्बर : 1800-180-5333
जन सुविधा केन्द्र दूरभाष नं० : 0522-2236803



Scheme Area		Area in Sqm	Ha	Acres	
		108205	10.82	26.73	
Land Use Chart					
S. No.	LANDUSE	Area in Sqm	%	Ha	Acres
1	Green Area	16244.59	15.01	1.62	4.01
2	Commercial	5171.63	4.78	0.52	1.28
3	Public Facilities	12588.54	11.63	1.26	3.11
4	Institutional	1500.00	1.39	0.15	0.38
5	Residential				
a	Group Housing	18318.90	16.93	1.83	4.52
b	EWS Housing	6830.75	6.31	0.68	1.69
c	Plotted Development	23899.32	22.09	2.39	5.90
6	Road	23651.27	21.86	2.37	5.84

- T.W. PROPOSED TUBEWELL (02 NOS.)
- HOUSE TYPE - 29/60 (5.41 X 11.20) 66 NOS.
- HOUSE TYPE - 45/75 (6.00 X 12.50) 42 NOS.

KEY PLAN OF LOHRAMAU YOJNA, SULTANPUR



IS 15700 : 2005



सेवोत्तम प्रमाणित

उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद

104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ

मूल्य : ₹ 300/- जी.एस.टी. सहित